

मध्यप्रदेश विधेयक
क्रमांक १ सन् २०१८

मध्यप्रदेश मोटर स्पिरिट उपकर विधेयक, २०१८

विषय-सूची

खण्ड :

१. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ.
२. परिभाषाएं.
३. उपकर का उद्ग्रहण और संग्रहण.
४. स्थानीय प्राधिकरण निधि.
५. उपकर का भार.
६. उपकर का संदाय.
७. रजिस्ट्रीकरण.
८. कतिपय परिस्थितियों में प्रतिदाय.
९. फर्मों का दायित्व.
१०. उपकर प्राधिकारी.
११. शक्तियों का प्रत्यायोजन.
१२. कार्यवाहियों के अंतरण की शक्ति.
१३. वेट अधिनियम के कतिपय उपबंधों का लागू होना.
१४. कतिपय विक्रयों का उपकर के अधीन दायी न होना.
१५. नियम बनाने की शक्ति.
१६. कठिनाईयां दूर करने की शक्ति.
१७. निरसन तथा व्यावृत्ति.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १ सन् २०१८

मध्यप्रदेश मोटर स्पिरिट उपकर विधेयक, २०१८

मध्यप्रदेश राज्य में नगरीय परिवहन अधोसंरचना के विकास के लिए निधि उपलब्ध कराने के प्रयोजन अथवा उसके लिए प्राप्त किए गए ऋण के पुनर्भुगतान के लिए मध्यप्रदेश राज्य में मोटर स्पिरिट (सामान्यतः पेट्रोल के नाम से जाना जाता है) के विक्रय पर उपकर उद्गृहीत करने के लिए विधेयक.

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश मोटर स्पिरिट उपकर अधिनियम, २०१८ है.

संक्षिप्त नाम, विस्तार
और प्रारंभ.

(२) इसका विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य पर है.

(३) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

२. (१) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

परिभाषाएं.

(क) “उपकर” से अभिप्रेत है, धारा ३ के अधीन उद्गृहीत मोटर स्पिरिट के करयोग्य कुल राशि पर देय उपकर;

(ख) “व्यापारी” से अभिप्रेत है, कोई व्यक्ति, जो मोटर स्पिरिट के क्रय, विक्रय, प्रदाय या वितरण का कारबार करता है;

(ग) “रजिस्ट्रीकृत व्यापारी” से अभिप्रेत है, इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यापारी;

(घ) “नियम” से अभिप्रेत है, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियम;

(ङ) “कर” से अभिप्रेत है, वेट अधिनियम के अधीन देय कर और अतिरिक्त कर;

(च) किसी व्यापारी के संबंध में “करयोग्य कुल राशि” (टैक्सेबल टर्न ओवर) से अभिप्रेत है, व्यापारी की कुल राशि का वह भाग, जो किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी के हाथ में ऐसे मोटर स्पिरिट के उस विक्रय मूल्य को, जिससे इसे क्रय किया गया है तथा जिस पर विक्रेता रजिस्ट्रीकृत व्यापारी ने उपकर संदत्त किया है, घटाने के पश्चात् शेष बचता है;

(छ) “कुल राशि” (टर्न ओवर) से अभिप्रेत है, मोटर स्पिरिट के किसी विक्रय या प्रदाय या वितरण के संबंध में किसी व्यापारी द्वारा प्राप्त किए गए तथा प्राप्त किए जाने योग्य विक्रय मूल्य की कुल राशि जिसमें खण्ड (ङ) में यथापरिभाषित कर की राशि सम्मिलित है;

(ज) “वेट अधिनियम” से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ (क्र. २० सन् २००२).

(२) उन शब्दों और अभिव्यक्तियों के, जो इसमें प्रयोग में लाई गई हैं और परिभाषित नहीं की गई हैं किंतु वेट अधिनियम में परिभाषित किए गए हैं, क्रमशः वे ही अर्थ होंगे जो उक्त अधिनियम में उनके लिए समनुदेशित हैं.

